Case No. 23/2023

Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)

[Anganbari Appeal Case No.-23/2023]

Pramod Kumar..Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Others…..Opposite Parties.

Sl. No.	Date of order of Proceeding	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	09.12.2025	**आदेश** यह आँगनबाड़ी अपील (प्रखंड समन्वयक) वाद जिला चयन समिति की कार्यवाही/जिला पदाधिकारी, सुपौल के आदेश ज्ञापांक-764 दिनांक-28.2.2022 के द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) अन्तर्गत सुपौल जिला के लिए प्रखंड समन्वयक के पद पर किये गये अभ्यर्थियों की औपबंधिक चयन के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-29.11.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों तथा LCR के अवलोकनोपरान्त यह स्थिति दृष्टिगत है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान) अंतर्गत सुपौल जिला के लिए प्रखंड समन्वयक के पद पर चयन हेतु उभय पक्ष एवं अन्य आवेदकों द्वारा आवेदन दाखिल किया गया। अपीलार्थी का अभिकथन है कि विपक्षी श्री शशांक कुमार वर्मा का चयन गलत ढंग से/ विभागीय गाईड लाईन का उल्लंघन करते हुए जिला स्तरीय समिति द्वारा किया गया है। अपीलार्थी का अभिकथन है कि विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार निर्धारित शैक्षनिक योग्यता/ Computer Knowledge के संबंध में आवश्यक अहर्ता निम्न अनुसार हैः- 1. Graduate. 2. At least 2 years experience of working with technology and software application support. अपीलार्थी का अभिकथन है कि उपरोक्त शैक्षणिक अहर्ता नहीं रहने के बावजूद विपक्षी शशांक कुमार वर्मा का चयन किया गया। सुनवाई में विपक्षी की ओर से उपस्थापित कागजातों के अनुसार विपक्षी शशांक कुमार वर्मा द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ Computer Knowledge/Experience से संबंधित निम्नांकित प्रमाण पत्र दिया गया था। 1. Data Entry Operator का प्रमाण पत्र (17^{th} August 2016 से 5 April 2018) 2. 26.3.2011 to 21.8.2011 की अवधि का Java training प्रमाण पत्र। सुनवाई एवं कागजातों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि नियोजन की विभागीय गाईड लाईन के अनुसार विपक्षी शशांक कुमार वर्मा का 2 years experience of working with technology and software application support का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ नहीं रहने के बावजूद जिला स्तरीय चयन समिति के स्तर से इनका नियम विरूद्ध चयन किया गया है। विपक्षी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. द्वारा उपलब्ध कराये गए कागजातों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थियों की आवश्यक अहर्ता धारित करने/नहीं करने के संबंध में सकारण विनिश्चय अंकित किये बिना ही चयन का निर्णय लिया गया है। जो प्रथम दृष्टया त्रुटीपूर्ण है।	

	09.12.2025	अतः उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित आदेश दिये जाते हैं:- 1. विपक्षी शशांक कुमार वर्मा के प्रखंड समन्वयक पद पर प्रसंगिक चयन/नियोजन को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। 2. जिला पदाधिकारी, सुपौल को आदेश दिया जाता है कि इस मामले में चयन प्रक्रिया की पूरी समीक्षा कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित हो लेंगे कि अन्य चयनित कर्मी आवश्यक अहर्ता धारित करते हैं। तथा किसी प्रकार के नियम विरूद्ध चयन को तत्काल प्रभाव से रद्द करेंगे। यह कार्रवाई एक माह के अंदर पूर्ण कर ली जाए। 3. जिला पदाधिकारी, सुपौल को इस पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेवार तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. के विरूद्ध 15 दिनों के अंदर आरोप पत्र गठित कर विभाग को भेजने का आदेश दिया जाता है। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजे। LCR निम्न न्यायालय को वापस भेजें। 09/12/25. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। 09/12/25. आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा। आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा	